न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 39/2018 G.C.M.S. No. 2018/00350 दर्ज दिनांक : 14.08.2018

अपीलार्थिगण:

1. खेत सिंह पुत्र रावत सिंह जाति राजपुत, निवासी आकोली, तहसील व जिला जालोर फौत के कायम मुकाम:—

1/1. पूरण सिंह पुत्र खेत सिंह निवासी आकोली

1/2. नखत सिंह पुत्र खेत सिंह

1/3 माफी कंवर पुत्री खेत सिंह पत्नी मालम सिंह जाति राजपुत, निवासी कागमाला तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर

1/4. रतन कंवर पुत्री खेत सिंह एवं पत्नी जनक सिंह के कायम मुकाम

1/4/1. प्रियंका कंवर पुत्री जनक सिंह

1/4/2. किस्मत कंवर पुत्री जनक सिंह

1/4/3 विपूल सिंह पुत्र जनक सिंह

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. दीप सिंह पुत्र छैल सिंह
2. ईश्वर सिंह पुत्र छैल सिंह
3. देस कंवर पत्नी छैल सिंह
4. मांग कवर पुत्र छैल सिंह
5. राण सिंह पुत्र केशर सिंह
6. राम सिंह पुत्र केशर सिंह
7. दुर्जन सिंह पुत्र परबत सिंह
8. कान सिंह पुत्र परबत सिंह
9. अमर सिंह पुत्र परबत सिंह जाति राजपूत के कायम मुकाम

9/1. हवीया पत्नी स्व अमर सिंह जाति राजपूत

9/2. युवराज सिंह पुत्र स्व अमर सिंह जाति राजपूत

9/3. सेजल कंवर पुत्री स्व. अमर सिंह जाति राजपूत

9/4. पवीत्रा पुत्री स्व. अमर सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता श्रीमती हवीया पत्नी स्व. अमर सिंह समस्त निवासी आकोली, तहसील व जिला जालोर

10. दलपत सिंह पुत्र मोड़ सिंह जाति राजपूत
11. भल सिंह पुत्र मोड़ सिंह जाति राजपूत
12. शैतान सिंह पुत्र जबर सिंह जाति राजपूत
13. सुन्दर कंवर पत्नी दलपत सिंह जाति राजपूत
14. गुलाब सिंह पुत्र मग सिंह जाति राजपूत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

15. खंगार सिंह पुत्र मेघ सिंह जाति राजपूत
16. कालू सिंह पुत्र अजीत सिंह जाति राजपूत
17. हकम कंवर पत्नी अजीत सिंह जाति राजपूत
18. बगत सिंह पुत्र पथ सिंह जाति राजपूत
19. भानाराम पुत्र नारायण जाति सुथार के कायम मुकाम
    19/1 सुबटी देवी पत्नी स्व. भानाराम सुथार
    19/2. इन्द्रमल पुत्र स्व. भानाराम जाति सुथार
    19/3. ललिता देवी पुत्री स्व. भानाराम जाति सुथार
    19/4. प्रकाश पुत्र स्व. भानाराम
    19/5. मदिया देवी पुत्री भानाराम
    19/6. जितेन्द्र कुमार पुत्र भानाराम
20. पवन कंवर पत्नी गजे सिंह फौत के कायम मुकाम वारिसान
    20/1. भवानी सिंह पुत्र गजे सिंह जाति राजपुत
    20/2. कैलाश पुत्री गजे सिंह जाति राजपूत
21. सूरजमल पुत्र गेनमल, जाति महाजन जैन
22. हीराचन्द्र पुत्र गेनमल, जाति महाजन जैन
23. राजेश कुमार पुत्र गेनमल, जाति महाजन जैन
24. मंगल सिंह पुत्र भबुत सिंह फौत के कायम मुकाम वारिसान
    24/1. मदीया कंवर पुत्री मंगल सिंह जाति राजपूत
    24/2. पाबू सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति राजपूत
    24/3. विनिया कंवर पुत्री मंगल सिंह जाति राजपूत
    24/4. ममता कंवर पुत्री मंगल सिंह जाति राजपूत
25. ओमकार सिंह पुत्र भबूत सिंह जाति राजपूत निवासी आकोली तहसील व जिला जालोर
26. राज. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी, जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 51/2016 बउनवान दीप सिंह बनाम खेत सिंह में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2018

उपस्थित–

1. श्री नैन सिंह राजपुरोहित साथू, राजाराम सिंधल विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री अशोक माली, सतपाल पुरोहित, संतोष भारती, महिपाल सिंह, विक्रम सिह विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक: 30.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी जालोर के राजस्व वाद संख्या 51/2016 बउनवान दीप सिंह बनाम खेत सिंह में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वादीगण द्वारा उक्त अनवान न्यायालय हाजा में प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर मौजा आकोली के खसरा संख्या 337, 348, 351, 352, 601, 602, 603, 604, 605, 618, 619, 620, 621, 646, 647, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 724, 725, 726, 727, 728 कुल रकबा 45.72 हैक्टर बाबत् प्रस्तुत कर अपीलांट खेत सिंह पुत्र रावत सिंह का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाकर रेस्पोडेन्ट/वादीगण के नाम 1/6 हिस्सा हक खातेदारी घोषित करने एवं उनका भौतिक बंटवाडा करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने हेतु प्रस्तुत किया और जवाबदावा हेतु पत्रावली चल रही थी। न्याय आपके द्वार कैम्प आकोली की सूचना/नोटिस दिये बगैर सीधे ही अंतिम तौर पर दिनांक 27.06.2018 को डिक्री पारित कर फैसल कर दी गई। नियमानुसार वादीपक्ष की शहादत–सबूत भले ही एकपक्षीय तौर पर सही उसे भी रेकर्ड किया जाना भी आवश्यक था और बाद में प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रदर्शित भी करवाया जाना आवश्यक था और उसके बिना दस्तावेज साक्ष्य के तौर पर नहीं पढे जा सकते थे। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 विवादित आराजी में अपना हिस्सा कालू सिंह पुत्र उक सिंह कौम राजपूत निवासी आकोली को बेचान करने पर कालू सिंह के पक्ष में म्यूटेशन नम्बर 1326 दिनांक 15.03.2018 को हो जाने एवं निर्णय से पूर्व इसका अंकन चालू जमाबंदी में था। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 कान सिंह व अमर सिंह द्वारा उपरोक्त विवादित आराजी में अपना हिस्सा कालू सिंह पुत्र उक सिंह, कौम राजपूत, निवासी आकोली को बेचान करने पर कालू सिंह के पक्ष में म्यूटेशन नम्बर 1326 दिनांक 15.03.2018 को हो जाने एवं निर्णय से पूर्व इसका अंकन चालू जमाबंदी में था परन्तु उनको पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण संख्या 21 पवन कंवर का स्वर्गवास होने के बावजूद भी उनके वारिसानो को कायम मुकाम बनाकर रेकर्ड पर नहीं लिया गया है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 द्वारा अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.04.2018 के अनुसार पत्रावली प्रतिवादीगण की जवाब में नियत की जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.06.2018 नियत की गई। आदेशिका दिनांक 27.06.2018 के अनुसार पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प आकोली में पेश हुई। लोक अदालत कैम्प आकोली में दिनांक 27.06.2018 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री पारित की गयी। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2016 को वादपत्र पंजीबद्ध किया गया तथा आदेशिका

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दिनांक 10.04.2018 द्वारा वादपत्र प्रतिवादीगण के जवाबदावा हेतु दिनांक 27.06.2018 को नियत किया गया। आदेशिका दिनांक 27.06.2018 अंकन अनुसार पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प आकोली में पेश होने तथा पक्षकारान हाजिर होने व हस्ताक्षर आदि करवाये जाने तथा प्रतिवादी खेत सिंह द्वारा हस्ताक्षर से इंकार किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.06.2018 के अनुसार वादीगण में से केवल वादी संख्या 01 दीप सिंह तथा प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी राण सिंह, दलपत सिंह, राम सिंह, द्वारा हस्ताक्षर होना अंकित है जबकि प्रकरण में कुल 23 प्रतिवादीगण संयोजित थे। दिनांक 27.06.2018 को पक्षकारान के राजस्व लोक अदालत कैम्प आकोली में उपस्थित होने बाबत् सूचित किए जाने तथा नोटिस आदि तामिल करवाये जाने का कोई अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। दिनांक 27.06.2018 को चार वादीगण में से वादी संख्या 01 दीप सिंह तथा 23 प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी राम सिंह राण सिंह, दलपत सिंह, एवं एक अन्य प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित कथित राजीनामा आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमे यह निवेदन किया गया है कि जिसमे पक्षकारान लोक अदालत की भावना से प्रकरण निस्तारित करना चाहते है। अतः दावा राजीनामा अनुसार निस्तारित करने की कृपा करावे लेकिन पक्षकारान के मध्य क्या राजीनामा निष्पादित हुआ इस संबध में कोई अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2018 को राजस्व लोकन अदालत कैम्प आकोली में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वादग्रस्त आराजीयात मे से अपीलांट खेत सिंह का नाम विलोपित करते हुए वादीगण को सम्पूर्ण आराजी में 1/6 हिस्से की खातेदारी अधिकार घोषित किए गए।

3. यह स्वीकृत विधिक स्थिति है कि लोक अदालत में राजीनामा आदि से वादपत्रो का निर्णयन केवल उसी स्थिति में किया जा सकता है जब सभी पक्षकारान उपस्थित होकर राजीनामा निष्पादित करे तथा पीठासीन अधिकारी ऐसे राजीनामे को तस्दीक करे एवं राजीनामा विधि अनुरूप निष्पादित व स्वीकार्य हो। हस्तगत प्रकरण में उपर्युक्त विवेचन एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नियत था। प्रकरण में संबधित पक्षकारान को विधिवत सूचित किए बिना पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में नियत करते हुए अपीलांध प्रतिवादी द्वारा विरोध करने के बावजूद एवं पक्षकारान द्वारा राजीनामा निष्पादित नहीं करने के बावजूद एवं समस्त पक्षकारान की उपस्थिति नहीं होने के बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी। जो राजीनामे के आधार पर निर्णित प्रकरण की श्रेणी में नहीं माना जा सकता।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– "No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties." इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

5. वादपत्रो के निर्णयन के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 08, 13, 14, 15, 16, 18, 19 व 20 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्रों का निस्तारण प्रतिवादी पक्षकारान को जवाब दावा का अवसर देते हुए, विवाद्यक आदि विरचित कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए प्रकरण अंतिम रूप से निर्णय व डिक्री किया जायेगा, लेकिन हस्तगत प्रकरण में उक्त आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों के अनुपालन का सर्वथा अभाव पाया गया। ऐसी स्थिति में पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने व विधिसम्मत नहीं होने से पुष्टि योग्य नहीं है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा विन्रम मत है कि अपील अपीलाण्ट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी जालोर के राजस्व वाद संख्या 51/2016 बउनवान दीप सिंह बनाम खेत सिंह में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2018 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 08, 13, 14, 15, 16, 18, 19 व 20 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल के संगत विधिक प्रावधानों में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णित व डिक्री करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 18.06.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई) राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली